रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229443
CG-DL-E-06092021-229443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] **नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943**
No. 250] **NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2021

मामला संख्याः एडी-एमटीआर-11/2020

विषयः चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में कोरिया गणराज्य के उत्पादक/निर्यातक के नाम में परिवर्तन तक सीमित मध्यावधि समीक्षा की समाप्ति।

फा. सं. 7/25/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; केजी डोंगबू स्टील कं. लि. (जिसे आगे यहां "आवेदक" कहा गया है) ने यह उल्लेख करते हुए एक मध्यावधि समीक्षा आवेदन पत्र दायर किया कि केजी स्टील द्वारा कंपनी की प्रमुख शेयरधारिता लिए जाने से, कंपनी का नाम डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड से बदलकर केजी डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड हो गया है।

2. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार आवेदकों द्वारा दायर विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र के आधार पर उसके नाम में परिवर्तन के संबंध में आवेदक के दावे की सत्यता निर्धारित करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 15 सितंबर, 2020 की अधिसूचना फा. संख्या 7/25/2020-डीजीटीआर द्वारा मध्यावधि समीक्षा शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई हैः

क. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में जांच में कोरिया गणराज्य के उत्पादक/निर्यातक के नाम में परिवर्तन तक सीमित मध्यावधि समीक्षा शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 15 सितंबर, 2020 की सूचना जारी की।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों और भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात घरेलू उत्पादकों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को दिनांक 15 सितंबर 2020 की जांच शुरू करने की अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर दिया।

ग. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए निर्धारित कोई जांच की अवधि नहीं की गई थी क्योंकि जांच का क्षेत्र आवेदक के नाम में परिवर्तन के पहलू तक प्रतिबंधित था।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। अगोपनीय रुपांतर की प्रति अनुरोध किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।

ङ. प्राधिकारी ने दी गई सूचना की परिशुद्धता और पर्याप्तता के लिए परिवर्तित स्थिति के संबंध में आवेदक द्वारा दी गई सूचना की जांच की है।

च. पाटनरोधी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को 25 फरवरी, 2021 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में उनके विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का भी अवसर दिया। केवल घरेलू उद्योग ने उस मध्यावधि समीक्षा आवेदन पत्र के जांच की शुरूआत का विरोध करने के लिए भाग लिया। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अपने अनुरोध दायर नहीं किए। जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर दायर करें। लिखित अनुरोधों में दिए गए तर्क और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों से उन पर प्राप्त प्रत्युत्तरों पर वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक इस अधिसूचना में विचार किया गया है।

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा "गोपनीय आधार" पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

ज. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर मुद्दे की जांच की है।

ग. आवेदक से प्राप्त अनुरोध

4. आवेदक ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2021 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि उनका आवेदन पत्र वापस लिया गया माना जाए। उनका अनुरोध निम्नलिखित रूप में हैः

> "इस मामले में की गई मौखिक सुनवाई के दौरान, घरेलू उद्योग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तकनीकी आपत्ति की थी कि इस प्राधिकारी द्वारा मध्यावधि समीक्षा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार सूचना संख्या 1/2020 दिनांक 17 मई, 2010 (जिसे यहां आगे "व्यापार सूचना" कहा गया है) के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से "कम से कम एक वर्ष" की समाप्ति के बाद ही शुरू की जा सकती है।

5. वर्तमान मामले में, अनंतिम शुल्क दिनांक 15 अक्टूबर 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 40/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था और अंतिम शुल्क दिनांक 23 जून, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 16/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था। घरेलू उद्योग के अनुसार, नाम में परिवर्तन तक सीमित वर्तमान मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत की तारीख, अर्थात 15 सितंबर 2020 को, अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख से भी एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। अतः, मध्यावधि समीक्षा के लिए वर्तमान आवेदन पत्र बनाए रखने योग्य नहीं है।

6. आवेदक ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी नियमावली के नियम 23 (1क) से मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो शक्ति अप्रतिबंधित और असीमित है तथा किसी भी तरह मध्यावधि समीक्षा की कार्यवाहियां शुरू करने के लिए प्राधिकारी की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करतीं अथवा उनमें बाधा नहीं डालतीं। व्यापार सूचना में दिए गए अनुसार "कम से कम एक वर्ष" की अवधि समाप्त होने की अपेक्षा आंतरिक मार्गदर्शन प्रयोजनों के लिए है और नियमावली के विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं करता।

7. यह भी उल्लेख किया गया है कि नाम परिवर्तन के पहलू तक सीमित मध्यावधि समीक्षा की मांग वाला आवेदन पत्र लंबे समय तक लंबित रहा है, और केवल घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपत्ति इस तकनीकी मुद्दे से संबंधित है और किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है।

8. इन परिस्थितियों में, इस मामले में और विलंब से बचने की दृष्टि से, आवेदक ने एक नया आवेदन पत्र दायर करने की स्वतंत्रता से इस प्राधिकारी के समक्ष विचार किए जाने तक मध्यावधि समीक्षा का आवेदन पत्र वापस लेने की अनुमति के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि इससे घरेलू उद्योग द्वारा की गई तकनीकी आपत्ति हल हो जाएगी और यह प्राधिकारी आवेदन पत्र के गुण-दोषों के आधार पर उस पर विचार करने में सक्षम होंगे।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

9. आवेदक द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2021 के उनके पत्र द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई है। वर्तमान जांच में मैसर्स केजी डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य आवेदक है, जिसके कहने पर मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक अपने आवेदन पत्र को वापस लेना चाहता है ताकि वह नया आवेदन पत्र दायर कर सके और उस तकनीकी आपत्ति को दूर कर सके जो घरेलू उद्योग द्वारा की गई है।

ङ. निष्कर्ष

10. आवेदक, मैसर्स केजी डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुरोध के मद्देनजर, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अधिसूचना संख्या 7/25/2020-डीजीटीआर द्वारा 15 सितंबर, 2020 को शुरू की गई कोरिया गणराज्य के उत्पादक/निर्यातक के नाम में परिवर्तन तक सीमित मध्यावधि समीक्षा समाप्त करते हैं। आवेदक प्राधिकारी के विचारार्थ नया आवेदन पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्रता होंगे।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 6th September, 2021

Case No. AD-MTR-11/2020

Subject: Termination of Mid-Term Review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP in the anti-dumping investigation concerning imports of "Aluminium and Zinc coated flat products" originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP

F. No. 7/25/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Anti- Dumping Rules); KG Dongbu Steel Co. Ltd. (hereinafter referred to as "Applicant") filed a Mid-Term Review application stating that with the acquisition of the major shareholding of the Company by KG Steel, there has been a change in the name of the Company from Dongbu Steel Co. Ltd. to KG Dongbu Steel Co. Ltd.

2. The Authority, on the basis of a duly substantiated application filed by the applicants in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, initiated the mid-term review limited to change of name vide notification no F. No. 7/25/2020-DGTRdated 15th September, 2020, published in the Gazette of India, to determine the veracity of the Applicant's claim with respect to its name change.

B. Procedure

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority, issued a public notice dated 15th September 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating midterm review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP, investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.

b. The Authority forwarded a copy of initiation notification dated 15th September 2020 to the embassy of the subject countries, known producers in subject countries, and known domestic producers of subject goods in India (whose details were made available by the Applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules.

c. There was no period of investigation set for the purpose of the present investigation as the scope of the investigation was restricted to the aspect of change of name of the applicant.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.

e. The Authority has examined the information furnished by the Applicant with regard to the changed circumstance for accuracy and adequacy of the information so provided.

f. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the public hearing held on 25th February 2021. Only the domestic industry participated to object to the initiation of the instant mid-term review application. No other interested party filed its submissions. The parties which presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally followed by rejoinders. The arguments made in the written submissions and rejoinders thereon received from the interested parties to the extent considered relevant for the present

investigation have been considered in this notification.

g. Information provided by interested parties on ‘confidential basis’ was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

h. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has examined the issue on the basis of the ‘facts available’.

C. Request Received from the Applicant

4. The applicant through their letter dated 31st August, 2021 have requested that their application be treated as withdrawn. Their request states as under –

> “During the course of the oral hearing conducted in the matter, the domestic industry has, inter alia, raised the technical objection that a mid-term review can be initiated by this Authority only after the lapse of “at least one year” from the imposition of definitive anti-dumping duty by the Central Government pursuant to the Trade Notice No. 1/2010 dated 17 May 2010 issued by the Ministry of Commerce and Industry (hereinafter referred to as the “Trade Notice”).”

5. In the instant case, the provisional duty was imposed vide Customs Notification No. 40/2019-Customs (ADD) dated 15 October 2019 and the final duty was imposed vide Customs Notification No. 16/2020-Customs (ADD) dated 23 June 2020. According to the domestic industry, on the date of initiation of the instant mid-term review limited to change of name, i.e. 15 September 2020, one year had not lapsed from the date of imposition of even the provisional duty. Hence, the instant application for mid-term review is not maintainable.

6. The Applicant has submitted that the Authority derives its power to initiate mid-term reviews from Rule 23 (1A) of the Rules, which power is unrestricted and unlimited and does not, in any manner, restrict or impede the powers of the Authority to initiate mid-term review proceedings. The requirement for a period of “at least one year” to have lapsed as provided in the Trade Notice, is for internal guidance purposes and does not supersede the specific provision of the Rules.

7. It has also been added that the application seeking mid-term review limited to the aspect of the name change has remained pending for a long time, and only substantive objection raised by the domestic industry pertains to this technical issue and no other interested party has raised any objection.

8. In the circumstances, with a view to avoid further delay in the matter, the Applicant has requested the Authority for permission to withdraw the mid-term review application pending consideration before this Authority with liberty to file a fresh application. The Applicant has further stated that this will address the technical objection raised by the domestic industry, and this Authority will be able to consider the application on its merits.”

D. Examination by the Authority

9. The request made by the Applicant, vide its letter dated 31st August 2021 has been examined. In the present investigation M/s KG Dongbu Steel Co. Ltd, Korea RP is the applicant, on whose instance the mid-term review was initiated. The Authority notes that the Applicant desires to withdraw its application so as to file a fresh application and overcome the technical objection that has been raised by the domestic industry.

E. Conclusion

10. In view of the aforesaid request made by the Applicant, M/s KG Dongbu Steel Co. Ltd., the Authority hereby terminates the mid-term review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP initiated on 15 September 2020 vide notification No.7/25/2020- DGTR in the anti-dumping investigation concerning imports of Aluminium and Zinc coated flat products originating in or exported from China PR, Korea RP and Vietnam. The Applicant shall be at liberty to file a fresh application for consideration of the Authority.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.09.06 21:50:39 +05'30'